रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 242]
No. 56] DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/CHAITRA 11, 1938 [N.C.T.D. No. 242]

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सं. पीए/एलएएससी/भू. एवं भवन/2014/23430.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21.10.2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2004(अ) तथा दिनांक 21.7.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2740(अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथोचित सरकार एतद्द्वारा प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के नियम निम्नानुसार बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**–(i) इन नियमों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन प्राधिकरण पीठासीन अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली, 2015 कहा जायेगा।

(ii) यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएं.**–(i) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस परिनियम में:–

(क) "अधिनियम" का अर्थ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) से है;

(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्थापित भूमि अधिग्रहण व पुर्नवास और पुनःस्थापन प्राधिकरण;

(ग) "पीठासीन अधिकारी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 51 के अधीन यथोचित सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त अधिकारी।

(ii) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है अपितु, अधिनियमों में परिभाषित किया गया है उनका क्रमशः वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. **प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पद्धति.**–अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति चयन समिति द्वारा होगी और अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले पात्र प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जाएंगे।

(क) अध्यक्ष सहित चयन समिति के सभी सदस्यों से समिति की बैठक का कोरम बनेगा।

(ख) चयन समिति पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हेतु सदस्यों के चयन की अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।

(ग) चयन समिति भूमि एवं भवन विभाग द्वारा आवेदन के माध्यम से प्राप्त प्रत्याशियों की सूची में से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी।

(घ) पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिश के आधार पर यथोचित सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

4. **पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए योग्यता.**–कोई व्यक्ति प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं होगा, यदि वहः–

(क) जिला न्यायाधीश है या न रहा हो; या

(ख) वह कम से कम 7 वर्षों तक पात्र विधि व्यवसायी न हो।

5. **पीठासीन अधिकारी के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें.**–पे बैंड 37,400–67000 (पीबी–4) तथा ग्रेड पे 10,000/–रुपये। प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा शर्तें (पेंशन, ग्रेच्युएटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित) समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लाभों के समान होगी।

उपबंध है कि उक्त पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्तों और न ही अन्य सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उनके अहित में परिवर्तित किया जाएगा।

6. **पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से निम्नलिखित अधिकारियों की एक चयन समिति होगी:–**

(i)	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	–अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	–सदस्य
(iii)	सचिव (न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	–सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	–सदस्य

7. **मेडिकल फिटनेस .**– किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे यथोचित सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड शारीरिक रूप से दुरूस्त घोषित नहीं करता यदि उसे पहले ही समकक्ष प्राधिकारी द्वारा दुरूस्त घोषित न किया गया हो।

8. **व्याख्या.**–इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न पैदा होने पर इस पर निर्णय के लिए इसे यथोचित सरकार को भेजा जाएगा।

9. **पद एवं गोपनीयता की शपथ.**–जिस व्यक्ति को अधिनियम की धारा 53 (2) के अधीन पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है वह पद संभालने पर इस नियमावली के साथ संलग्न फार्म में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आलोक शर्मा, उप–सचिव (भूमि अधिग्रहण)

प्रपत्र–1

(नियम 9 देखें)

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद की शपथ का प्रपत्र।

मैं ———————————————— (पीठासीन अधिकारी का नाम) पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने पर ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में निष्ठापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात या अनुराग या दुर्भावना के बिना अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करूंगा।

पीठासीन अधिकारी का नाम
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन
अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकरण

प्रपत्र–II

(नियम 9 देखें)

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद की शपथ का प्रपत्र।

मैं ———————————————— (पीठासीन अधिकारी का नाम) पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने पर ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि उक्त प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट किए गए किसी भी विषय को जिसे मेरे विचारार्थ लाया जाएगा या मुझे जानकारी प्राप्त होगी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि ऐसा किया जाना पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के विधिवत निर्वहन के लिए अपेक्षित न हो।

पीठासीन अधिकारी का नाम
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन
अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकरण

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

No. PA/LASC/L&B/2014/23430.—In exercise of the powers conferred by section 109 read with sub-section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), read with Government of India, Ministry of Home Affairs notifications No. S.O. 2004(E) dated 21.10.2014 and S.O. 2740(E) dated 21.07.2015, the appropriate Government hereby makes the rules, for the procedure of appointment of Presiding Officer of the Authority as following, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority Procedure for Appointment as Presiding Officer Rules, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (i) In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013).

(b) "Authority" means the Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Authority established under section 52 of the Act.

(c) "Presiding Officer" means the authority appointed by notification by the appropriate Government under section 51 of the Act.

(ii) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Method of appointment as Presiding Officer of Authority.**—Under sub-section (2) of section 53 of the Act, the appointment of the presiding officer shall be on the basis of the recommendation of selection committee inviting applications from the eligible candidates with requisite qualification and experience.

(a) Any of these members of the Selection Committee including Chairman shall form a quorum for meeting of the Committee.

(b) The selection committee may devise its own procedure for selecting the candidate for appointment as Presiding Officer.

(c) The selection Committee shall recommend person for appointment as Presiding Officer from amongst the persons on the list of the candidates prepared by the Land and Building Department after inviting applications therefore by advertisement.

(d) The appropriate Government on the basis of recommendation of the Committee selected for appointment as Presiding Officer, shall appoint Presiding Officer in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi.

4. **Qualification for appointment as Presiding Officer.**—A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer of an Authority unless:-

(a) He is or has been a District Judge; or

(b) He is a qualified legal practitioner for not less than seven years.

5. **Salary and allowances and other terms and conditions of Presiding Officers.**—Pay Band 37,400-67,000 (PB-4) Plus Grade Pay 10,000/-. The salary and allowance payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Presiding Officer of an Authority, shall be at par with those of the Central Government prescribed from time to time:-

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the said Presiding Officer shall be varied to their disadvantage after appointment.

6. **For the purpose of appointment to the post of Presiding Officer there shall be a Selection Committee consisting of:-**

(i)	Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi	--Chairperson
(ii)	Principal Secretary (Revenue), Government of National Capital Territory of Delhi	--Member
(iii)	Secretary (Law), Government of National Capital Territory of Delhi	--Member
(iv)	Principal Secretary (Land and Building), Government of National Capital Territory of Delhi	--Member/Convener

7. **Medical Fitness** -- No person shall be appointed as a Presiding Officer unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the appropriate Government for the purpose unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

8. **Interpretation--If** any question arises relating to interpretation of these rules the same shall be referred to the appropriate Government for its decision.

9. **Oaths of office and secrecy** -- Every person appointed to be Presiding Officer under section 53(2) of the Act shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Forms annexed to these rules.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ALOK SHARMA, Dy. Secy. (LA)

FORM-I

(See Rule-9)

Form of oath of office for Presiding Officer of the Authority under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

"I, ...(Name of the Presiding Officer) having been appointed as Presiding Officer do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Presiding Officer to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill will."

NAME OF THE PRESIDING OFFICER
AUTHORITY UNDER LARR ACT, 2013

FORM-II

(See Rule-9)

Form of oath of secrecy for Presiding Officer of the Authority under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

"I, ...,(Name of the Presiding Officer) having been appointed as Presiding Officer do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Presiding Officer of said Authority except as may be required for the due discharge of my duties as the Presiding Officer."

NAME OF THE PRESIDING OFFICER

AUTHORITY UNDER LARR ACT, 2013

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सं. फा. 14(3)/एलए–2016/cons2law/29-38.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 30 मार्च, 2016 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2016

(2016 का दिल्ली अधिनियम 01)

(28 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[30 मार्च, 2016]

वर्ष 2015–16 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त शीर्षक।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2016 है।

₹1420,44,59,000/– का वर्ष 2015–2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार चार सौ बीस करोड चवालीस लाख उनसठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015–2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

1607 DG/16-2

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	69847	21400	91247
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	2783875	2500	2786375
4	वित्त	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	3000	0	3000
5	गृह	राजस्व	200	0	200
6	शिक्षा	राजस्व	1800	0	1800
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	2600	0	2600
		पूंजी	200	0	200
8	समाज कल्याण	राजस्व	1345300	0	1345300
		पूंजी	1975737	0	1975737
9	उद्योग	राजस्व	200	0	200
10	विकास	राजस्व	1000	0	1000
		पूंजी	0	2100	2100
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	6100	0	6100
		पूंजी	7988500	0	7988500
		योग	**14178459**	**26000**	**14204459**

सी. अरविंद, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS

NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2016

No. F.14(3)/LA-2016/ cons2law/29-38.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 30th March, 2016 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2016

(DELHI ACT 01 OF 2016)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 28th March, 2016)

[30th March, 2016]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2016.

issue of ₹1420,44,59,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees One Thousand Four hundred Twenty crore Forty Four lakhs Fifty Nine thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousands)

Demand No.	Services and Purposes		SUMS NOT EXCEEDING Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	69847	21400	91247
3	Administration of Justice	Revenue	2783875	2500	2786375
4	Finance	Revenue	100	0	100
		Capital	3000	0	3000
5	Home	Revenue	200	0	200
6	Education	Revenue	1800	0	1800
7	Medical and Public Health	Revenue	2600	0	2600
		Capital	200	0	200
8	Social Welfare	Revenue	1345300	0	1345300
		Capital	1975737	0	1975737
9	Industries	Revenue	200	0	200
10	Development	Revenue	10000	0	1000
		Capital	0	2100	2100

11	Urban Development and Public Works	Revenue Capital	6100 7988500	0 0	6100 7988500
Total			**14178459**	**26000**	**14204459**

C. ARVIND, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.